

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

मंत्रालय, भोपाल

:: आदेश ::

M(1)

P. C. S.
3-11-2016

भोपाल दिनांक 14 .10.2016

क्र. एफ 16-02/2016/ए-ग्यारह: राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि मेसर्स अम्बाशक्ति उद्योग लि. द्वारा औद्योगिक क्षेत्र बानमोर, जिला मुरैना में रु. 113.43 करोड़ के स्थाई पूंजी निवेश से स्टील उत्पाद निर्माण इकाई स्थापना संबंधी प्रस्ताव पर विचारोपरांत परियोजना के प्रथम चरण को निम्नानुसार सुविधाएं दी जावे:-

JE
9/11/16

1. उद्योग संवर्धन नीति, 2010 एवं कार्ययोजना (यथा संशोधित, 2012) अंतर्गत -

- (i) वेट एवं सीएसटी पर सहायता- इकाई द्वारा दिये गये विकल्प अनुसार उद्योग संवर्धन नीति, 2010 एवं कार्ययोजना (यथा संशोधित, 2012) के प्रावधान अनुसार 10 वर्षों हेतु 75 प्रतिशत की दर से प्लान्ट एवं मशीनरी में किये गये पूंजी निवेश की 100 प्रतिशत की सीमा तक शर्तों के अध्याधीन दी जावे। कुल सहायता इकाई द्वारा जमा किये गये कर से अधिक नहीं होगी।
- (ii) प्रवेश कर से छूट- प्रथम कच्चा माल क्रय दिनांक से 5 वर्षों हेतु दी जावे।
- (iii) विद्युत शुल्क पर छूट- ऊर्जा विभाग की अधिसूचना दिनांक 04.03.2014 में प्रावधान अनुसार शर्तों के अध्याधीन दी जावे।
- (iv) उद्योग संवर्धन नीति, 2010 एवं कार्ययोजना (यथा संशोधित, 2012) अंतर्गत अन्य सभी सुविधाएं प्रचलित नियमों के अनुसार दी जावे।

2. परियोजना के द्वितीय चरण अंतर्गत सुविधाओं का लाभ तत्समय प्रचलित नीति अंतर्गत दिया जावे।
3. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम

से तथा आदेशानुसार

(मोहम्मद सुलेमान)

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

भोपाल, दिनांक 14 .10.2016

पृ.क्रमांक एफ 16-02/2016/ए-ग्यारह

प्रतिलिपि,

1. प्रमुख सचिव (समन्वय), मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/ऊर्जा विभाग/वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लि., भोपाल।
4. आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर।
5. कलेक्टर, जिला मुरैना।
6. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (ग्वालियर) लि., ग्वालियर।
7. आथोराइज्ड सिग्नेटरी. मेसर्स अम्बाशक्ति उद्योग लि., एम-84, प्रथम तल, एम-ब्लॉक मार्केट, ग्रेटर कैलाश पार्ट-II, नई दिल्ली-110048

- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग